थडोदा बईजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः–32/2018 दायर तारीख 05.04.2018

सुगनलाल पिता काना जाति धाकड उम्र 45 वर्ष निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।

.....वादी

बनाम

1. पप्पू पिता मांगीलाल जाति धाकड उम्र 35 वर्ष निवासी छोटा थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा ।
2. भंवरलाल पिता कजोड जाति धाकड निवासी थडोदा **मृतकः–**
   - 2.1 शंकरी बाई पत्नि भंवरलाल जाति धाकड निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा ।
   - 2.2 गोपाल पिता भवंरलाल जाति धाकड निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा ।
   - 2.3 जगदीश पिता भंवरलाल जाति धाकड निवासी थडोदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा ।

.....प्रतिवादी

उपस्थितः–

ब्रहमप्रकाश तिवाडी अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 रा0टि0एक्ट0

:–निर्णयः– दिनांक 15.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 केम्प थडोदा पर पेश हुई। वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरुद्व प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन किया की ग्राम थडोदा प0ह0 थडोदा तहसील बिजौलियां की शरहद में स्थित आराजी नं0 51/15 रकबा 5 बीघा का वादी खातेदार काश्तकार होकर उसके उपयोग उपभोग में चली आ रही है तथा वादी वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हो काश्त करता आ रहा है एंव लगान राज्य सरकार में जमा करवाता आ रहा है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के पडोसी है। वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक अधिकार निहित नही है। वादी ने वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण को रहन या विक्रय नही की है। परन्तु प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के पडोसी होने से वादी द्वारा हकाई बूआई करते समय लडाई झगडा मारपीट करने पर उतारु रहते है। अक्टूम्बर 2014 में वादी को फसल काश्त नही करने दी एंव प्रतिवादीगण जो वादग्रस्त आराजीयात के पडोसी है ने वादी की आराजीया में से कुछ कुछ हिस्से को अपनी अपनी आराजीयात में सम्मिलित कर प्रतिवादीगण ने अवैध कबजा कर लिया जिससे वादी परेशान होकर वादी ने दिनांक 25.05.2015 को वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई। तथा प0ह0 एंव भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा मौके पर वादग्रस्त आराजीयात के निशानात कायम किये गये। जिनको भी प्रतिवादीगण ने हटा दिये तथा वादी को वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या 1 पप्पू ने 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 भंवरलाल ने 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर काश्त नही करने दी तथा प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर लिया है। वादी द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण ने जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात पर बिना किसी विधिक अधिकार के अवैध कब्जा कर वादग्रस्त आराजीयात को अपनी आराजीयात में मिला लिया है। पत्थरगढी करवाने के बावजूद प्रतिवादीगण अपना अवैध अतिक्रमण हटाने को तैयार नही है एंव वादग्रस्त

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने हेतु वादी के पास बेदखली का वादपत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार शेष नही रहा है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा वादी को सिपुर्द कराया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के पडोसी है तथा कब्जा प्राप्ति के पश्चात भी प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी लडाई झगडा तथा पुनः कब्जा कर सकते है इस कारण वादी को स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के विरुद्व पेश करना आवश्यक हो गया है। वादी को वाद कारण अक्टूम्बर 2014 में जब प्रतिवादीगण ने फसल काश्त नही करने दी एंव दिनांक 25.05.2015 को जब वादी ने वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढी कराई तब से उत्पन्न होकर सतत जारी है। वादी ने अनुतोष चाहा की इस आश्य की बेदखली की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि मौजा थडोदा प0ह0 थडोदा तहसील बिजौलियां की शरहद में स्थित आ0नं0 51/15 रकबा 5 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 को 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि से प्रतिवादी संख्या 2 को 3 बीघा 10 भूमि से बेदखल किया जावे एंव वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा वादी को पुनः सिपुर्द किये जाने की डिक्री सादीर फरमाई जावे। इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा वादी को सिपुर्द किये जाने के बाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात पर पुनः कब्जा नही करे, वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे, न किसी अन्य से करावे। वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने की दिनांक से कब्जा प्राप्ति तक लगान का 50 गुणा मुआवजा बतौर क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने से उनके विरुद्व एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वादी ने वादपत्र के साथ दस्तावेज सूची मय दस्तावेज जमाबंदी प्रति सम्वत 2069 से 2072 व मौका पर्चा की प्रति प्रस्तुत की।

साक्ष्य वादी में सुगनलाल पिता कन्हैयालाल जाति धाकड निवासी थडोदा तह0 बिजौलियां को प्रस्तुत कर बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया कि मेरे ग्राम थडोदा में 5 बीघा जमीन मेरे खाते में है मे ही काश्त कर रहा हुॅ। प्रतिवादी भंवरलाल मर गया है। शंकरी उसकी पत्नि, जगदीश गोपाल उसके लडके है। पप्पू पिता मांगीलाल धाकड जिन्दा है पप्पू व भवरलाल ने 4–5 साल पहले मेरे खाते की जमीन पर 5 बीघा का कब्जा है। खाता मेरा है किन्तु कब्जा उनका है। मुझे मेरे खाते की भूमि का कब्जा दिलाया जावे। मेने मेरे खाते की नकल ईएक्स–1 व पत्थरगढी ईएक्स–2 पेश की है। मेरे खाते की भूमि का कब्जा मुझे सोपा जावे। प्रेम से कब्जा नही छोडने से मेने दावा किया है जमीन मुझे सिपुर्द की जावे। मौका पर्चा ईएक्स पी–2 पेश किया है।

वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

प्रकरण का मेरीट पर गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने हेतु शिविर के दौरान ही अवलोकन किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया।

वादी वादग्रस्त भूमि का रेकार्डेड खातेदार है प्रतिवादी का कब्जा मौका पर्चा से स्पष्ट है।

अतः प्रस्तुत वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री योग्य है। ग्राम थडोदा प0ह0 थडोदा तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी नं0 51/15 रकबा 5 बीघा में से 1–10 बीघा भूमि पप्पू पिता मांगीलाल पर से थडोदा का 3–10 बीघा से व भंवरलाल पिता कजोड धाकड का वर्तमान कब्जा हटवाया जाकर पुनः प्रतिवादीगण से वादी को सिपुर्द किया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी को कब्जा सिपुर्द किया जाने के उपरान्त प्रतिवादी वादी को बेदखल नही करे न ही अन्य से करावे। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 15.05.2018 को मुकाम लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

15/05/18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
(केम्प थडोदा)